

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

राँची
दिनांक : २७/१२/१२

अधि.सं.-01/स्था.(प्रो.)-10-08/2011 ७५७, दिनांक 19.12.2012 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची के निम्नलिखित सहायक अभियंता(यॉन्ट्रिक) को कार्यकारी व्यवस्था के तहत उनके अपने ही वेतनमान में उनके नाम के सामने स्तम्भ-04 में अंकित पद/स्थान पर पदस्थापित करते हुए कार्यपालक अभियंता(यॉन्ट्रिक) (स्वतंत्र चालू प्रभार) के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

क्रम सं.	पदाधिकारी का नाम/आई.डी./जन्म तिथि/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री मदन मोहन मंडल एम 419/06.01.53/धनबाद	सहायक अभियंता खरकई नहर अंचल, आदित्यपुर	उप निदेशक (यॉ.) क्रय निर्माण एवं निविदा नियन्त्रण प्रमंडल, आदित्यपुर	
2.	श्री शम्भू शकर प्रसाद सिंह एम 426/05.01.54/ बेगुसराय	सहायक अभियंता(यॉ.) कोनार नहर प्रमंडल, बनासो	कार्यपालक अभियंता (चा.प्र.) लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, रॉची	
3.	श्री सुरेन्द्र नारायण एम 439/07.05.53/भागलपुर	सहायक अभियंता(यॉ.) ग्रामीण विकास विभाग	कार्यपालक अभियंता (चा.प्र.) यॉन्ट्रिक प्रमंडल, चाडिल	ग्रा.वि.वि. से सेवा वापस लेते हुए
4.	श्री शफीक अहमद खाँ एम 445/30.06.53/गढ़वा	सहायक अभियंता(यॉ.) लघु सिंचाई अनुमंडल चन्दवा (लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार)	कार्यपालक अभियंता(यॉ.) यॉन्ट्रिक प्रमंडल, इचा चालियामा	

- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- कार्यपालक अभियंता स्तरीय पद का कार्य करने हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा तथा इन्हें वही वेतन देय होगा जो पूर्व में देय है।
- उपरोक्त पदाधिकारी जिन्हें कार्यकारी व्यवस्था के तहत कार्यपालक अभियंता (यॉन्ट्रिक) (चालू प्रभार) के रूप में पदस्थापित किया गया है, कालान्तर में इनसे वरीयता क्रम में वरीय पदाधिकारी की निगरानी स्वच्छता एवं चारित्री प्रोन्नति के अनुकूल पाये जाने पर उन्हें कार्यपालक अभियंता (स्वतंत्र चालू प्रभार) के रूप में अधिसूचित कर दिया जायेगा एवं तदनुसार जो पदाधिकारी कनीय होंगे उन्हें सहायक अभियंता के रूप में अधिसूचित किया जायेगा।
- भविष्य में उपरोक्त अभियंताओं की निगरानी स्वच्छता की स्थिति प्रतिकूल पाये जाने पर उन्हें सहायक अभियंता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।
- कार्यपालक अभियंता के पद पर नियमित पदस्थापन होने के बाद यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

7. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। यह किसी प्रकार की प्रोन्नति का आधार नहीं होगा और न ही पूर्वादाहरण का मामला होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Sheet 27.12.12

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 7457

रॉची, दिनांक :- 27/12/12

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियों कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

Sheet 27.12.12

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 7457

रॉची, दिनांक :- 27/12/12

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची/ माननीय उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, सारिथक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि., रॉची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबन्ध निदेशक, झालको, रॉची/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड / सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषांगार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब., 7यो., एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित सहायक अभियंता अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 7 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे। एक सप्ताह के अन्दर विरमित नहीं होने पर सहायक अभियंता स्वतः कार्य से विरमित समझे जायेंगे।

3. संबंधित कोषांगार पदाधिकारी, वर्षित पदाधिकारी का माह जनवरी 2013 का वेतन भुगतान नव पदस्थापित पद के विरुद्ध हीं करेंगे।

Sheet 27.12.12

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)